राज्य के मूल संकेतक

समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

मार्च 2013 तक की प्रगति

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	विवरणी	31.03.2012	30.09.2012	31.12.2012	31.03.2013	वृद्धि (दिसम्बर 2012 से मार्च 2013)
1	जमा	421443.55	476595.43	498798.50	518542.26	19743.76
2	अग्रिम	202308.69	224955.78	271036.50	291095.87	20059.37
3	ऋण जमा अनुपात	48.00	47.20	54.34	56.14	
4	अग्रिम निवेश सहित	243037.43	264660.62	311036.34	334526.65	23490.31
5	अग्रिम + निवेश : जमा अनुपात	57.67	55.53	62.36	64.51	
6	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	129254.38	135676.49	141275.47	151841.90	10566.43
7	कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का प्रतिशत	63.89	60.31	52.15	52.16	
8	कृषि अग्रिम	64600.33	68936.27	71441.87	74171.91	2730.04
9	कुल अग्रिमों में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत	31.93	30.64	26.35	25.48	
10.	लघु उद्यमियों को अग्रिम	33395.03	37227.49	39490.27	44097.35	4607.08
11.	कुल अग्रिमों में लघु उद्यमियों का प्रतिशत	16.51	16.54	14.57	15.15	
12.	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	31259.01	29512.72	30343.33	33572.64	3229.31
13.	कुल अग्रिमों में अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का प्रतिशत	15.45	13.12	11.20	11.53	
14.	कमजोर वर्गो को अग्रिम	41926.28	43458.22	46356.58	48508.23	2151.65
15.	कुल अग्रिमों में कमजोर वर्गो का प्रतिशत	20.72	19.31	17.10	16.66	
16.	डी. आर. आई. अग्रिम	544.29	336.90	817.02	1252.97	435.95
17.	कुल अग्रिमों में डी. आर. आई. अग्रिम का प्रतिशत	0.31	0.14	0.30	0.43	
18.	शाखा विस्तार क) ग्रामीण ख) अर्ध शहरी ग) शहरी/मेट्रो	 5714 2373 3716	 5867 2451 3791	 5959 2507 3828	 6185 2602 3937	 226 95 109
	कुल शाखाओं की संख्या	**11803**	**12109**	**12294**	**12724**	**430**

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उत्तर प्रदेश) की बैठक दिनांक 23.05.2013

क्र0 सं0	विवरणिका	एजेन्डा नं.	पृष्ठ सं.
1.	राज्य स्तरीय बैकर्स समिति बैठक दिनांक 14.03.2013 – कार्यवृत्त की पुष्टि	1	3
2.	पिछली बैठक के कार्य–बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की स्थिति रिपोर्ट	2	4 – 6
3.	वित्तीय समावेशन प्लान	3	7 – 15
4.	हथकरघा क्षेत्र के लिये पुनरूद्धार, सुधार और पुर्नगठन पैकेज एवं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना	4	16 – 18
5.	वार्षिक ऋण योजना 2012–13 के अन्तर्गत मार्च 2013 तक की प्रगति समीक्षा	5	19 – 22
6.	ऋण–जमा अनुपात	6	23 – 28
7.	भारत के पूर्वी प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हरित क्रांति योजना के अन्तर्गत कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा	7	29
8.	किसान क्रेडिट कार्ड/फसली ऋण, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	8	30 – 34
9.	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को अग्रिम	9	35 – 46
10.	साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह	10	47 – 49
11.	वसूली–प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनान्तर्गत एवं गैर निष्पादक आस्तियॉ	11	50 – 65
12.	अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता	12	66 – 68
13.	स्वयं सहायता समूह	13	69 - 70
14.	विभिन्न गरीबी उन्मूलन व स्वरोजगार परक कार्यक्रमों की प्रगति – समीक्षा क. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना ख. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना ग. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम घ. सघन मिनी डेयरी परियोजना ङ. विशेष समन्वित योजना च. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना छ. शहरी गरीबों को आवास हेतु ब्याज उपादान योजना	14	71 - 94
15.	भारत सरकार की नवीन योजनाओं यथा एग्रीक्लिनिक/एग्रीबिजनेस केन्द्र एवं ग्रामीण भंडार गृह	15	95 - 99
16.	शिक्षा ऋण	16	100 - 101
17.	बैंकों से सम्बन्धी अपराधिक मामले	17	102
18.	अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से	18	103

कार्यसूची संख्या 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 14.03.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक **यूपीएवंयूजेड/39/एसएलबीसी/106 दिनांक 30.03.2013** द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था.

इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर से कोई टिप्पणी/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु अनुरोध है.

कार्यसूची संख्या 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 14.03.2013 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

SN	Issue	Status	Latest Position	Required Action
1.	**Allotment of minimum 1 Acre of land free of cost by the State Govt. to the Banks for setting up of R-SETIs in all Districts of the State.**	Govt. of India guidelines suggests for allotment of land to the Banks by the State Govt. free of cost for setting up of R-SETIs.	All Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings. The State Govt. has approved allotment of land in respect of -18- Districts. During the Meeting itself it was informed about the allotment of land in respect of another 50 Districts. However, no fresh allotment of land has been advised during the quarter.	Owing to the importance of the issue and also the Banks' commitment towards this Social cause, the State Govt. is requested to speed up the process of land allotment in all the Districts to enable Banks to start construction of the RSETI buildings etc. It is all the more important because the Grant-in-aid of ₹1.00 crore admissible from Govt. of India is released to the Banks **(Action : Commissioner, Rural Development, GoUP)**
2	**Construction of Building of RSETIs on the land allotted by State Govt.**	Upon allotment of land by the State Government, the GoI grant in aid amounting Rs 1.00 Cr is released to Banks by NIRD for construction of RSETI building.	During the Meeting it was informed by the State Govt. and SPC RSETI that the land allotment and possession has been completed in -6- Districts for about a year. Therefore, concerned Banks should start construction immediately in these -6- Districts. Similarly, in other Districts where the process is in advanced stage, the process of construction must start by May 2013 after completion of the necessary parameters. The Banks concerned have to advise the update in this regard.	The concerned Banks of these -6- Districts viz. Barabanki (BoI), Mau (UBI), Raebareli (BoB), Aligarh & Hathras (Canara Bank), and Mathura (Syndicate Bank) must start construction of RSETI Building after completion of formalities. Necessary action and follow up to be made by the Banks in the State Govt. **(Action : All Banks & Commissioner, Rural Development, GoUP)**
3	**Kisan Credit Card Scheme – Issuance of KCC to all eligible but left out farmers thereby saturating all the Districts in the State and reconciliation of data.**	A joint campaign is launched in the State by Banks and the State Government since October 2010 and the success thereof has been adopted as a Model by GoI for replication in other States across the Country.	As per SLBC data, 18.33 Lacs new KCCs and 33.31 Lacs renewed KCCs are put in place by the Banking System during the fiscal. It was informed that large number of KCC applications are pending in different Districts and needs immediate disposal. Further, it was also emphasized that all eligible farmers in the State must be provided with the KCC so that our State may be declared as fully saturated. It would also facilitate bringing all eligible farmers under the institutional credit system. The District wise information related to reconciliation of data from the Agricultural Directorate, UP is still awaited. However, Banks are constantly in the process of issuing KCC to all eligible farmers as is evident from the above data.	Banks and the State Agriculture Department are required to reconcile the District-wise data and review the progress during DCC/DLRC Meetings regularly. The complete details should be made available to SLBC for further necessary action and efforts should be made to issue KCC to all farmers. As per extant GoI guidelines all KCC are to be issued by Banks in the form of Rupay Card by 30.06.2013. **(Action : Banks & the State Agriculture Directorate)**

4.	**Recapitalization of RRBs – The Baroda U.P. Gramin Bank**	As per the recommendations of Dr. K. C. Chakrabarty report, -2- RRBs viz. BUPGB, Raebareli & Kshetriya Kisan Gramin Bank (Merged to AGB), are identified for recapitalization by GoI. Directors of the Bank have in principle agreed to release its share of ₹29.75 cr, and the State Govt. share to the tune of ₹12.75 cr. is required to be released to BUPGB.	The matter is being regularly discussed during SLBC Meetings. During the Meeting it was informed that the in principle approval for release of ₹12.75 crore to BUPGB has been made by the State Govt. and the amount would be released in due course of time	The BUPGB authorities are requested to vigorously follow up the matter with State Govt. for release of funds at the earliest. **(Action : DIF, GoUP & BUPGB)**
5.	**Recovery of Bank dues**	The recovery of Bank dues under various poverty alleviation programmes is poor in the State as compared to the other States. Further, the NPA Level of the Banks is also showing marked increase on continuous basis inspite of vigorous efforts made by the Banks.	During the meeting it was informed that strict instructions to ensure recovery of Bank dues would be reiterated to the District Revenue Authorities from State Headquarter. It was also informed that a decision has been taken to discuss the Bank recovery during the monthly Meetings at the level of Board of Revenue, Lucknow wherein all RRBs of the State should participate to discuss their chronic cases for a fruitful decision. At District level the Banks should remain in constant touch with the Revenue authorities to follow up and perusing their recovery cases. The guidelines as above have been issued and the State Govt. has also assured of full cooperation and support to Banks in recoveries.	The State Govt. to issue / reiterate suitable directives to the District Revenue Authorities. The RRBs to attend the monthly recovery meetings at Board of Revenue level and peruse for their recovery cases. At District/ State level the Banks should take up their recovery cases with the District/State Revenue Authorities & should also attend the periodical meetings. **(Action : The Banks & State Revenue Authorities, GoUP)**
6.	**Popularizing the credit plus activities**	At the instance of RBI /GoI, the Banks have initiated the Credit Plus activities in the State in a big way by establishing the RSETIs, FLCCs/FLCs, farmers club etc. These initiatives have proved useful for the target group.	The Banks have so far established -75- RSETIs and -75- FLCCs/FLCs in various Districts. While appreciating the performance of Banks in their endeavour, it has been emphasized that the guidelines may be put on SLBC website for the benefit of masses. The RBI Guidelines have since been put on the SLBC website.	**Guidelines relating to FLCCs/FLcs are to be displayed on SLBC website.** **(Action : SLBC (U.P.)**
7.	**Reconciliation of PMEGP margin money**	The Margin Money provided by the Nodal Agency KVIC in respect of loans financed by Banks under PMEGP is kept at the nodal branches of Banks identified by KVIC, KVIB and the DICs. The financing Bank branches follow the laid down system and procedure to claim Margin money from the Nodal Branches.	It has been observed that the reconciliation with regard to the margin money available with the Nodal branch with that of the financing branches is not made. As such the margin money is lying pending with a nodal branch where as in a number of cases it is yet to be received by the financing branches for various reasons.	As desired the committee headed by Addl. Director, DIF, Lucknow should review and submit the status **(Action : DIF, SLBC and 3 implementing Agencies)**

			As per the guidelines of Ministry of MSME the targets for 2012-13 under DIC could not be distributed for this reason of non reconciliation of data. The house was of the opinion that the entire issue be reviewed by DIF and SLBC with 3 implementing Agencies and the Banks. A Meeting in this regard was held on 22.03.2013 under Chairmanship of Addl. Director, DIF wherein threadbare discussions have taken place to ressolve the issues.	
8.	**Opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014 & improving the CD Ratio by 3% points over March 2013 level**	As per decision of the Special SLBC Meeting Dated 15.01.2013, the Banks have to setup new Bank branches and ensure improvement in CD Ratio as per stipulated levels.	Banks have designed the roadmap for opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014 & improving the CD Ratio by 3% points over March 2013 level. It is to inform that in a grand function organized at Lucknow on 29.03.2013, 300 new B&M Branches were opened at the hands of Hon'ble Union Finance Minister & Hon'ble Chief Minister, UP. A roadmap for 3000 new branches proposed to be opened by March 2014 was also launched during the function. Banks are in the process of opening these branches in a phased manner.	The Banks are required to follow up the set deadline to achieve the set goals. Since the State Govt. has assured of all support and cooperation in this joint endeavour, Banks must obtain all necessary support from the District /State authorities. It is also desired that the monthly and quarterly progress is advised to the DIF, UP and SLBC on regular basis because it is one of the important Agenda points of the Monthly Meetings by the Chief Secretary, GoUP. **(Action : Banks & State Government)**

कार्यसूची संख्या 3

वित्तीय समावेशन

- भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप मार्च 2010 में प्रदेश के ऐसे सभी गॉवों जिनकी जनसंख्या 2000 व उससे अधिक है के संदर्भ में बैंकिंग सुविधायें प्रदान करने के उददेश्य से एक रोडमैप तैयार किया गया था. **मार्च 2013 तक की बैंकवार अद्यतन प्रगति रिपोर्ट संलग्नक–1 के माध्यम से प्रस्तुत है. प्रगति रिपोर्ट के अनुसार –16270– आबंटित गॉवों के सापेक्ष मार्च 2013 तक –16388– गॉवों में वित्तीय समावेशन का कार्य बैंकों द्वारा –675– शाखाओं, –15637– बिजनेस करेस्पान्डेनट एवं –58– मोबाईल वैन व अन्य माडल (18) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है.**

- **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना की समीक्षा नियमित रूप से निदेशक (वित्तीय समावेशन), वित्तीय सेवायें, वित्तमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत सभी संबंधित बैंकों के नियन्त्रको के साथ वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से की जा रही है. इसी क्रम में यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के क्रम में विभिन्न मानकों पर प्रगति समीक्षा भी की जा रही है.**
  - **विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद शाखा विस्तार कार्यक्रम** को लागू किया जाये जिसमें **निजी क्षेत्र के बैंकों की सहभागिता भी हो. इस क्रम में सभी बैंकों से वार्षिक शाखा विस्तार कार्यक्रम (Annual Branch Expansion Plan)** की जानकारी मांगी गयी है
  - **5000 से अधिक आबादी वाले ऐसे गॉव जहॉ पर शाखा विस्तार कार्यक्रम लागू किया जाना है में यह प्रक्रिया 30 सितम्बर 2012 तक अवश्य पूरी की जानी चाहिये थी. इस संबंध में अद्यतन प्रगति रिर्पोट संलग्नक–2 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार कुल चयनित 198 केन्द्रों में से अभी तक –190– केन्द्रों में बैंकों द्वारा शाखायें खोली गयी है।**
  - **भारत सरकार के निर्देशानुसार एफ.आई चयनित गॉवों में साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम का विवरण यथा अधिकारी का नाम, निर्धारित दिन व तिथि का पूरा शाखावार कार्यक्रम बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों में रखा जाना चाहिये जिसका निरीक्षण वित्तमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान किया जायेगा.**
  - **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में बैंकों/विभिन्न विभागों के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा सहभागिता की जाये.**
  - **जिलों की वेबसाइट पर अपलोड किये गये सर्विस एरिया प्लान में अन्य जानकारियॉ यथा विलेज कोड (2011 जनसंख्या के आधार पर), प्रत्येंक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले सभी गॉवों के नाम इत्यादि को प्रदर्शित किया जाये.**

- **Ultra Small Branches** की नवीनतम की स्थिति संलग्नक–3 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार –12305– चयनित केन्द्रों पर **Ultra Small Branches** की स्थापना की गयी है.
- भारत सरकार के निर्देशानुसार **Business Correspondents** की एकरूप सेवायें प्रदान करने की उद्देश्य से **Common Request for Proposal (RFP)** जारी किया गया था. प्रदेश के **UP 1 & UP 2** क्लस्टर हेतु **M/s SREi SAHAJ e Village Limited** व **M/s FINO Fintech Foundation** का चयन किया गया है. इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रदेश के –75– में से क्रमशः –27– व –25– जनपद चयन किये गये थे. विगत् बैठक में लिये गये निर्णयानुसार इस प्रक्रिया को समाप्त किया गया है.
- इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक **RPCD.CO.LBS.BC.No.86/ 02.01.001/2011-12** दिनांक 19.06.2012 के निर्देशानुसार 2000 से कम आबादी वाले सभी गावों (2001 जनगणना) में बैंकिग सेवाओ के विस्तार हेतु एक रोड़मैप तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि ई.बी.टी. सेवायें प्रारम्भ की जा सके. तद्नुसार अद्यतन –77421– गांवों हेतु रोडमैप तैयार कर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ताकि मार्च 2016 तक इन सभी गांवों में बैंकिग सेवा का विस्तार सुनिश्चित किया जा सके. जनपदवार रोडमैप तथा इसके सापेक्ष माह मार्च 2013 तक की प्रगति संलग्नक 4 के द्वारा प्रस्तुत की गयी है.

Direct Benefit Transfer Scheme (DBT)

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.6/41/2012-FI (Vol. III) दिनांक 01.04.2013 अवगत कराया गया है कि उपरोक्त योजनान्तर्गत भारत वर्ष के चयनित –78– जनपदों में अपने प्रदेश के निम्न –6– जनपदो में यह योजना 01. 07.2013 से प्रारम्भ की जायेगी :–

Sr. No.	District	Lead Banks
1	Etawah	Central Bank of India
2	Chitrakoot	Allahabad Bank
3	Shrawasti	
4	Sant Kabir Nagar	State Bank of India
5	Raebareli	Bank of Baroda
6	Amethi	

- उल्लेखनीय है कि इस पूरी प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन हेतु एक निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा का अनुपालन करना अनिवार्य है जिसमें राज्य सरकार, बैंकस व अन्य एजेन्सीज का समन्वय महत्वपूर्ण है. निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा को चार्ट फार्म में निम्नानुसार दर्शाया गया है –

Sr. No	Activity	Latest by
1	**Obtaining Scheme wise digitalized list of Beneficiaries with details of Bank account & Aadhaar from DMs. Circulating it to the Banks as per the Service Area. Banks to observe that account of the Beneficiaries, wherever required, are opened.**	**31.05.2013**
2	**Seeding Aadhaar Number into the Bank Accounts of Beneficiaries based on the details received from DMs / Concerned Department promptly and uploaded on the NPCI Mapper every day.**	**On day to day basis**
3	**Banks to ensure strengthening of Banking Infrastructure through New Bank Branches or BCAs / CSCs, as the case may be**	**31.05.2013**
4	**Issuance of Debit Card particularly to the Beneficiaries under various schemes, so that they are able to draw the benefits as per their convenience.**	**31.05.2013**
5	**Installation of onsite ATMs at all Branches & their operationalization**	**30.06.2013**
6	**Roll out of II nd Phase of DBT**	**wef 01.07.2013**

- उल्लेखनीय है कि इस योजना की महत्ता के दृष्टिगत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विगत् 29.04.2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सभी चयनित –78– जनपदो के जिलाधिकारी एवं अग्रणी जिला प्रबंधको की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जा चुकी है जिसमें योजना क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत चर्चा की जा चुकी है. आवश्यकता इस बात की है कि चयनित जनपदों में अधिकारियों द्वारा संयुक्त प्रयास करते हुये योजना का क्रियान्वयन किया जाये.
- इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों/चयनित जनपदों का भ्रमण किया जाना प्रस्तावित है जिसके निर्देश एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी सदस्य बैंको को विगत् 24.04.2013 को प्रेषित किये जा चुके है.
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार सभी गावों का सब–सर्विस एरिया प्लान निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर अग्रणी जिला प्रबंधको द्वारा प्रेषित किया गया जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसरित किया जा चुका है. इस डेटाबेस में वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ त्रुटियां इंगित की गयी हैं. बैंको द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है.

शाखा विस्तार कार्यक्रम

विगत् 15.01.2013 को डा0 डी सुब्बाराव, माननीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक के निर्णयानुसार प्रदेश में 3000 नयी बैंक शाखाओं की स्थापना से संबंधित रोड़मैप तैयार कर इसका विमोचन दिनांक 29.03.2013 को माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार एवं माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के करकमलों द्वारा किया गया. इस अवसर पर एक ही दिन –300– नयी शाखाओं का शुभारम्भ भी किया गया. इन सभी शाखाओं की स्थापना मार्च 2014 तक किया जाना अपेक्षित है ताकि प्रदेश में प्रति शाखा आबादी को राष्ट्रीय मानको के अनुरूप लाया जा सके.

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इन केन्द्रो पर शाखा स्थापना हेतु सभी सम्भव सहयोग प्रदान किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है. उल्लेखनीय है कि संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर शाखा विस्तार कार्यक्रम की फॉट एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी है. बैंको द्वारा वांछित कार्यवाही अपेक्षित है.

कार्यसूची संख्या 4

हथकरघा क्षेत्र के लिये पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज एवं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना

(क) हथकरघा क्षेत्र के लिये पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज (**Implementation of Revival, Reforms and Restructuring Package for Handlooms Sector**)

माननीय वित्तमंत्री, भारत सरकार ने दिनांक 28.02.2011 को वर्ष 2011–12 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि अतिदेय ऋणों को माफ करने के लिये भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के लिये वित्तीय पैकेज का कार्यान्वयन करने के लिये ₹300 करोड़ प्रदान करेगी. इस बजट घोषणा की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में भारत सरकार ने उपरोक्त योजनाओं को अनुमोदित किया है.

वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली के पत्रांक सं. एफ.6/2/99–डीसीएच/2011–12/डीसीएच दिनांक 28.11.2011 के द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है तथा उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट http://handlooms.nic.in पर उपलब्ध है.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समय समय पर इस योजना की विस्तृत जानकारी एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित दिशा निर्देश सभी सम्बन्धित सदस्यों को प्रेषित करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष अनुरोध किया है.

(ख) बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना (**Weavers' Credit Card Scheme**)

- यह योजना बुनकरों को उनकी आवश्यकतानुसार एवं समय से वित्त–पोषण कराने के उददेश्य से लागू की गयी है तथा कार्यशील पूँजी एवं निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्व होगी.
- यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लागू होगी. योजनान्तर्गत पात्र बुनकरों की परिभाषा वस्त्र मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की गयी है.
- योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को फोटोयुक्त बुनकर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है जिसमें स्वीकृत धनराशि तथा वैधता अवधि का उल्लेख किया जाना प्रस्तावित है साथ ही उन्हें एक पासबुक भी जारी किया जाना प्रस्तावित है जिसमें विभिन्न जानकारियॉ अंकित होंगी. इस कार्ड के द्वारा लाभार्थी अपनी आवश्यकता एवं पात्रतानुसार ऋण राशि का उपयोग कर सकेगा.
- योजनान्तर्गत व्यक्तिगत बुनकरों हेतु अधिकतम धनराशि रूपया 2.00 लाख तय की गयी है.

- रूपये 25000/– तक की ऋण सीमा पर कोई मार्जिन नहीं लिया जायेगा उससे अधिक ऋण राशि पर 20 प्रतिशत मार्जिन का प्रावधान रखा गया है जो समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनशील होगा.
- यह क्रेडिट कार्ड 3 वर्ष के लिये वैध होगा तथा ऋण सीमा का वार्षिक मूल्यांकन बैंक द्वारा किया जायेगा.
- स्वीकृत ऋण राशि हेतु कोई समपार्शविक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होगी तथा ऋण राशि द्वारा सृजित आस्तियों को ही प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में मान्यता होगी.
- योजनान्तर्गत बैंकों को सीजीटीएमएसई योजना के अन्तर्गत कवर किये जाने का प्रावधान है तथा गारण्टी फीस के भुगतान हेतु निर्देश जारी हो चुके है.

वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर अद्यतन प्रगति रिर्पोट **संलग्नक** के माध्यम से प्रस्तुत है जिसके अनुसार अभी तक कुल –7520– बुनकर क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये है जिनमें से ऋण वितरण की कार्यवाही –2413– मामलों में सम्पन्न की जा चुकी है.

उल्लेखनीय है कि विभिन्न जनपदो में विशेष कैम्पस आयोजित कर पत्रावलियों के कलेक्शन, ऋण स्वीकृति एवं वितरण की सघन कार्यवाही की गयी परन्तु प्रगति असंतोषजनक रही है जिस पर भारत सरकार, राज्य सरकार, नाबार्ड एवं अन्य स्तरों से चिन्ता व्यक्त की गयी है.

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से 25000 नये बुनकर क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किये जाने हेतु लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं। **साथ ही प्रदेश के बुनकर बाहुल्य जनपदो में –6– नये क्लस्टर यथा वाराणसी व मुबारकपुर, जनपद मउ (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया); बिसवां, जनपद सीतापुर (इलाहाबाद बैंक); पृथ्वीपुर, जनपद झांसी व बिजनौर (पंजाब नेशनल बैंक) तथा बाराबंकी (बैंक ऑफ इण्डिया) चयनित किये गये है** जहां पर मासिक आधार पर विशेष ऋण शिविर लगाने हेतु भी निर्देश प्राप्त हुये है। **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अपने पत्रांक ई.यू.पी.जेड./39/एस.एल.बी.सी./150 दिनांक 30.04.2013 द्वारा इस संदर्भ में सभी बैंको/कार्यालयों को आवश्यक सूचना एवं निर्देश निर्गत कर दिये है।**

यहां यह उल्लेख कराना समीचीन होगा कि जनपद स्तर पर नोडल ऐजन्सी– हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, लीड बैंक अधिकारी, नाबार्ड व सभी बैंको के मध्य सामंजस्य स्थापित कर योजनान्तर्गत कार्यवाही की जाये तथा नियमित समीक्षा डी.सी.सी./डी.एल.आर.सी. की बैंठको में की जाये ताकि योजनान्तर्गत अपेक्षित प्रगति अर्जित की जा सके.

इस योजना के क्रियान्वयन एवं समीक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक National Implementation, Monitoring & Review Committee (NIMRC) का गठन किया गया है जिसकी –8– बैठकें सम्पन्न हो चुकी है।

इसी क्रम में State Implementation, Monitoring & Review Committee (SIMRC) की बैठके भी निरन्तर अन्तराल पर सम्पन्न हो रही है जिसकी कार्यवाही से भी सभी सदस्य बैंकों को एस एल बी सी द्वारा निरन्तर अवगत कराया जा रहा है.

कार्यसूची संख्या 5

वार्षिक ऋण योजना 2012–13 के अन्तर्गत मार्च 2013 तक की प्रगति समीक्षा

वार्षिक ऋण योजना 2012–13 के अन्तर्गत मार्च 2013 तक की बैंकवार/सेक्टरवार प्रगति संलग्नक 1 के माध्यम से दी गयी है. पूरे प्रदेश में **वार्षिक लक्ष्य ₹78334.68 करोड़** के सापेक्ष कुल **ऋण वितरण ₹68852.24 करोड़** है जो कि लक्ष्य का **87.89 प्रतिशत** है.

आबंटित लक्ष्यों के सापेक्ष सेक्टरवार ऋण वितरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ में)

क्षेत्र	लक्ष्य		उपलब्धि		% उपलब्धि	
	2011-12	2012-13	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2012	मार्च 2013
कृषि	43505.28	54509.05	39304.99	46940.78	90.35	86.12
लघु उद्यम	9874.68	11031.53	10823.73	13248.38	109.61	120.10
सेवायें	11151.50	12794.10	8242.09	8663.08	73.91	67.71
कुल	**64531.46**	**78334.66**	**58370.82**	**68852.24**	**90.45**	**87.89**

वार्षिक ऋण योजना 2012–13 में मार्च 2013 को समाप्त अवधि तक कुल उपलब्धि/ऋण वितरण ₹68852.24 करोड़ है, जो कि विगत् वर्ष 2011–12 को समाप्त समान अवधि में वितरित धनराशि में अधिक व उत्साहवर्धक है.

- **कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कुल ऋण वितरण ₹46940.78 करोड़ है जो कि विगत् वर्ष की उपलब्धि ₹39304.99 करोड़ की तुलना में अधिक है तथा वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष 86.12 प्रतिशत उपलब्धि दर्शाता है.**
- ऑकड़ों के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि **वाणिज्यिक तथा निजी क्षेत्र के बैकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं कोआपरेटिव बैंकों** की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रगति **क्रमशः 97.35, 74.91 व 56.51 प्रतिशत** रही है.
  यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि कोआपरेटिव सेक्टर तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष बेहतर योगदान आवश्यक है ताकि प्रदेश की कुल प्रगति में उनकी सक्रिय सहभागिता हो सके तथा वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत आबंटित लक्ष्यों की शतप्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित हो सके.
- **वार्षिक ऋण योजना 2012–13 में मार्च 2013 को समाप्त अवधि तक कुल 87.89 प्रतिशत उपलब्धि रही है, जो कि विगत् वर्ष 2011–12 की समान अवधि से कम है जिसका मुख्य कारण कतिपय बैंकों की शिथिल प्रगति है.** प्रदेश स्तरीय औसत प्रगति 87.89 % से कम उपलब्धि वाले कुछ महत्वपूर्ण बैंक निम्नानुसार है :–

पंजाब नेशनल बैंक (85.26%), भारतीय स्टेट बैंक (73.82%), देना बैंक (44.25%), इण्डियन बैंक (47.37%), विजया बैंक (77.58%), ऐक्सिस बैंक (62.78%), आईसीआईसीआई बैंक (80.53%), आर्यावर्त ग्रामीण बैंक (51.37%), बलिया इटावा ग्रामीण बैंक (57.22%), काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक (69.73%), प्रथमा बैंक (67.96%), पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैक (78.82%), सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक (68.96%) एवं श्रेयस ग्रामीण बैंक (53.87%)

- अग्रणी जनपदवार वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत प्रगति **संलग्नक 2** के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि जहां एक ओर विभिन्न जनपदों में बैंको द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है वहीं दूसरी ओर कतिपय जनपदों की प्रगति शिथिल रही है.

  अतः आवश्यकता इस बात की है कि सभी जनपदो में कार्यरत विभिन्न बैंको द्वारा आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करते हुये प्रगति एवं आंकडों का प्रेषण संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक, संस्थागत वित्त निदेशालय, अपने नियन्त्रण कार्यलय तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि बैंको द्वारा विभिन्न मानको में दर्ज प्रगति को परिलक्षित किया जा सके.

वार्षिक ऋण योजना 2013–14 का अनुमोदन

❖ **वार्षिक ऋण योजना 2013–14** के सृजन की कार्यवाही विगत् 01.12.2012 से प्रारम्भ हुई थी. तत्क्रम में **मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त नीतिगत निर्देश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के पत्रांक उ.प्र.एवंउ.अं./39/एसएलबीसी/5/29 दिनांक 29.01.2013 के माध्यम से सभी अग्रणी बैंकों को प्रेषित किये गये.**

सभी अग्रणी बैंकों द्वारा अपने–अपने अग्रणी जनपदों में वार्षिक ऋण योजना 2012–13 तैयार कर डी.सी.सी. की विशेष बैठक के माध्यम से इसका जनपदवार **अनुमोदन एवं प्रस्तुतीकरण 31 मार्च 2013 तक पूरा कर लिया गया है.**

प्रदेश की समेकित वार्षिक ऋण योजना 2013–14 का विमोचन बैठक में प्रस्तावित है.

नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा गत् 02.03.2013 को स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत सम्भाव्यतायुक्त योजना 2013–14 (पीएलपी) राशि ₹1,01,315.38 करोड़ एवं सम्भाव्यतायुक्त योजना 2012–17 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) राशि ₹ 5,38,449.27 करोड़ का अनुमोदन किया गया था जिसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश में बैंको द्वारा वार्षिक ऋण योजना 2013–14 का सृजन किया गया है। सेक्टर–वार सम्भाव्यतायुक्त योजना राशि की फांट निम्नानुसार हैः–

राशि (करोड़ में)

क्र.सं.	सेक्टर	सम्भाव्यतायुक्त योजना 2013–14	सम्भाव्यतायुक्त योजना 2012–17
1.	**कुल कृषि**	**73490.09**	**384877.58**
	जिसमें से फसली ऋण	58928.85	306682.47
2.	**लघु उद्यम**	**12893.85**	**71864.22**
3.	**सेवायें**	**14931.44**	**81707.47**
कुल योग		**101315.38**	**538449.27**

विगत् वर्ष 2012–13 में यह **सम्भाव्यतायुक्त योजना ₹ 79987.76 करोड़** की थी जिसपर चालू वित्तीय वर्ष में 21.05 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है

कार्यसूची संख्या 6

ऋण – जमा अनुपात

मार्च 2012 एवं मार्च 2013 तक की ऐजेन्सीवार ऋण जमा अनुपात एवं ऋण निवेश : जमा अनुपात की प्रगति निम्नानुसार है :–

विवरण	संस्था	त्रैमास		बढ़ोत्तरी / घटोत्तरी (मार्च 12 से मार्च 2013)	त्रैमास दिसम्बर 2012	बढ़ोत्तरी / घटोत्तरी (दिसम्बर 12 से मार्च 13)
		मार्च 2013	मार्च 2012			
ऋण जमा अनुपात	वाणिज्यिक बैंक	56.62	47.75	8.87	54.39	2.23
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	51.08	50.43	0.65	53.69	-2.61
	वाणिज्यिक बैंक + क्षे. ग्रा. बैं.	**56.14**	**48.00**	**8.14**	**54.34**	1.80
	कोआपरेटिव बैंक	61.99	71.10	-9.11	60.46	1.53
	वाणिज्यिक बैंक + क्षे. ग्रा. बैं. + सहकारी बैंक	**56.32**	**48.64**	7.68	**54.54**	1.78
ऋण + निवेश जमा अनुपात	वाणिज्यिक बैंक	60.57	52.82	7.75	58.44	2.13
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	105.89	104.50	1.39	106.76	-0.87
	वाणिज्यिक बैंक + क्षे. ग्रा. बैं.	**64.51**	**57.67**	**6.84**	**62.36**	2.15
	कोआपरेटिव बैंक	107.46	91.96	15.50	107.31	0.15
	वाणिज्यिक बैंक + क्षे. ग्रा. बैं. + सहकारी बैंक	**65.84**	**58.61**	7.23	**63.86**	1.98

- बैंकवार ऋण जमा अनुपात एवं ऋण निवेश : जमा अनुपात की **मार्च 2013** तक की विस्तृत स्थिति **संलग्नक–1** के माध्यम से प्रस्तुत है.
- **ऑकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वाणिज्यिक बैंक + क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मार्च 2013 तक का ऋण जमा अनुपात विगत् वर्ष की आलोच्य अवधि के सापेक्ष क्रमशः 8.14 प्रतिशत व ऋण : निवेश + जमा अनुपात 6.84 प्रतिशत बढ़ा है.**
- विदित हो कि प्रदेश में कम ऋण जमा अनुपात सभी स्तर पर चिन्ता का विषय है अतः बैंकों द्वारा इस सम्बन्ध में सार्थक प्रयास व प्रगति वांछित है. साथ ही साथ विकास की इस प्रक्रिया में प्रदेश सरकार का सहयोग आवश्यक है. उल्लेखनीय है कि किसानो हेतु ऋण माफी की घोषणा के कारण किसान अब नया ऋण लेने हेतु नहीं आ रहे है क्योकि उन्हें बकाया धनराशि जमा करनी पड़ेगी. यही कारण है कि एन पी ए धनराशि में भी वृद्धि हो रही है. वर्तमान मे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं जिनका प्रचार प्रसार बैंको द्वारा जनमानस में किया जा रहा है

  - बैंकवार / सेक्टरवार अग्रिमों की स्थिति **संलग्नक–2** के द्वारा प्रस्तुत की गयी है. स्थिति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाणिज्यिक बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का **कृषि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गो हेतु ऋण का प्रतिशत क्रमशः**

25.48, **52.16 एवं 16.66 प्रतिशत है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के सापेक्ष काफी अच्छा है तथा बैंकों द्वारा किये जा रहे सघन प्रयासो का द्योतक है.**

- अग्रणी बैंकवार/जनपदवार कुल जमा, अग्रिमों व ऋण जमा अनुपात की स्थिति **संलग्नक–3** के द्वारा प्रस्तुत की गयी है.

- ऐसे –23– जनपद जहॉ ऋण **जमा अनुपात 40.00 प्रतिशत से कम रहा है की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है.**

क्र.सं.	अग्रणी बैंक	जनपद	ऋण जमा अनुपात	क्र.सं.	अग्रणी बैंक	जनपद	ऋण जमा अनुपात
1	**इलाहाबाद बैंक**	बलरामपुर	31.80	13	**पंजाब नेशनल बैंक**	झांसी	39.53
2		गोड़ा	38.94	14	**भारतीय स्टेट बैंक**	गोरखपुर	31.15
3		मिर्जापुर	38.46	15		बस्ती	31.34
4	**बैंक ऑफ बड़ौदा**	इलाहाबाद	30.22	16		सन्त कबीर नगर	29.42
5		अम्बेडकर नगर	37.30	17		सिद्वार्थ नगर	30.30
6		कौशाम्बी	33.39	18	**यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया**	चन्दौली	30.40
7		प्रतापगढ़	32.69	19		आजमगढ़	18.54
8		सुल्तानपुर	30.45	20		जौनपुर	24.36
9	**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया**	बलिया	**25.99**	21		मऊ	22.88
10		औरैया	28.38	22		वाराणसी	38.30
11		देवरिया	***30.77***	23		गाजीपुर	24.97
12		इटावा	36.52				

- **भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण प्रवाह एवं वर्गीकरण से संबंधित नवीन दिशा निर्देश परिपत्र संख्या RPCD.CO.Plan.BC 13/04.09.01/2012-13 एवं RPCD.CO.Plan.BC 37/04.09.01/2012-13 दिनांक 20.07.2012 व 17.10.2012 क्रमशः द्वारा निर्गत किये है. बैंकों से अनुरोध है कि तदानुसार ऋण प्रवाह की रिपोर्टिंग निर्धारित निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करें.**

- उल्लेखनीय है कि ऋण जमा अनुपात पर गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के क्रम में ऐसे सभी जिले जिनमें ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है में **डी.सी.सी. की विशेष उप–समिति का गठन** किया जा चुका है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार नियमित बैठकों में ऋण जमा अनुपात पर चर्चा भी की जा रही है. परन्तु इन बैठकों का कार्यवृत्त व अर्जित प्रगति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण समीक्षा सम्भव नहीं हो पा रही है. सभी सम्बन्धित जनपदों के अग्रणी बैंक व संस्थागत वित्त निदेशालय से इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है.

- इस क्रम में उल्लेख करना समीचीन होगा कि **प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त ने अपने पत्रांक 1013 (बी) (1)/बी–सीडीआर/2011–12–13 दिनांक 26.07.2012 के**

माध्यम से 11 जिलाधिकारियों (जहां ऋण जमा अनुपात 20 से 30 प्रतिशत के मध्य है) को संबोधित पत्र द्वारा उनके संबंधित जनपद में ऋण जमा अनुपात में अभिवृद्धि लाने हेतु District Credit Improvement Plan तैयार करने हेतु निर्देशित किया है जो एक प्रभावी प्रयास है. सभी बैंकों से अनुरोध है कि अपने अग्रणी जनपदों में ऋण जमा अनुपात में अभिवृद्धि लाने हेतु जनपद स्तर पर प्रभावी कार्य योजना तैयार करें जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न नोडल विभागों का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाये.

- विगत् एस एल बी सी बैठक दिनांक 24.08.2012 के निर्णय के अनुरूप प्रदेश में **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के संयोजन में एक उप समिति का गठन किया गया है** जिसकी 3 बैठके सम्पन्न हो चुकी हैं तथा जनपदवार समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है. सघन समीक्षा के कारण ही कतिपय जनपदों में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि परिलक्षित होने लगी है.
- **उल्लेखनीय है कि गत् 15.01.2013 को गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, आदरणीय डा0 डी सुब्बाराव की अध्यक्षता में एस.एल.बी.सी. की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था. इस बैठक में अन्य विषयों के साथ साथ प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में व्यापक अभिवृद्धि हेतु –6– अग्रणी बैको यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया व पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपने दो–दो अग्रणी जनपदों में मार्च 2014 तक 3 प्रतिशत प्वाइन्ट वृद्धि हेतु कार्य योजना हेतु निर्देशित किया गया है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा इस संदर्भ में सभी संबंधित से अनुरोध किया जा चुका है साथ ही यह भी अनुरोध है कि इन जनपदों हेतु तैयार कार्य–योजना भारतीय रिजर्व बैंक को अविलम्ब प्रेषित की जाये.**

कार्यसूची संख्या 7

भारत के पूर्वी प्रदेशों में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हरित क्रांति योजना के अन्तर्गत कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा

भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के क्रियान्वयन का यह दूसरा वर्ष है. प्रदेश में योजनान्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है :–

1. **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समन्वयन में एक उपसमिति का गठन किया गया है जिसकी –4– बैठकें की दिनांक 26.09.2012, 15.10.2012, 20.11.2012 व 12.02. 2013 को सम्पन्न** हुई हैं.

2. चालू वित्तीय वर्ष में इन **–28–** चयनित जनपदों हेतु **नाबार्ड** द्वारा तैयार विशेष सब–प्लान **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने पत्रांक यूपीएण्डयूजेड/38/एसएलबीसी/35/349 दिनांक 20.09.2012 द्वारा सभी अग्रणी बैंकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।**

3. **यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया** द्वारा तैयार **एक पावर प्वांइट प्रस्तुतीकरण** के माध्यम से अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की जा रही है.

कार्यसूची संख्या 8

किसान क्रेडिट कार्ड/फसली ऋण, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

(क) किसान क्रेडिट कार्ड/फसली ऋण

- प्रदेश में सभी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है. योजनान्तर्गत **मार्च 2013** तक की प्रगति **संलग्नक–1** के माध्यम से प्रस्तुत है. प्रस्तुत ऑकड़ों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2012–**13 के दौरान कुल 5164679 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये** है जिनमे से **नये जारी कार्ड 1833727** है तथा **कार्ड नवीनीकरण** की प्रक्रिया **3330952** मामलों में की गयी है. बैंकों से प्राप्त ऑकड़ों की स्थिति के अनुसार प्रगति निम्नवत है :–

(राशि करोड़ में)

बैंक	किसान क्रेडिट कार्ड					
	नवीनीकरण		नवीन स्वीकृत		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वाणिज्यिक एवं क्षे. ग्रा. बैंक	2505304	9626.74	1271291	12407.33	1100914	22034.07
कोआपरेटिव बैंक	825648	1027.52	**562436**	401.50	1388084	1429.02
कुल योग	**3330952**	**10654.26**	**1833727**	**12808.83**	**2488998**	**23463.09**

- प्रदेश में सभी पात्र परन्तु अभी तक वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा किसानों की आय दुगुना करने के उददेश्य से राज्य सरकार एवं बैंकों के संयुक्त प्रयासों द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिससे सम्बन्धित नवीन स्थिति निम्नवत है :–

- सचिव, वित्तमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हमारे प्रदेश में चलाये जा रहे अभियान को मानक के रूप में मानते हुये अन्य प्रदेशों में भी लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जो निश्चय ही हमारे प्रदेश के लिये एक गौरव का विषय है.
- **प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश के 10 जनपदों यथा – पीलीभीत (बैंक ऑफ बड़ौदा), मथुरा, गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद (सिंडीकेट बैंक), आगरा व अलीगढ़ (केनरा बैंक) एवं बलिया, इटावा, कुशीनगर व औरेया (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया) में शतप्रतिशत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कर आच्छादित किया जा चुका है. आवश्यकता इस बात की है कि सभी जनपदों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर संतृप्तीकरण प्रक्रिया पूर्ण करते हुये प्रमाण पत्र जारी किये जाये.** इस संर्दभ में **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा सभी बैंको व विशेषकर** कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है.
- इस क्रम में सचिव, वित्तमंत्रालय, भारत सरकार ने सभी बैंकों के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशकों को जारी नवीन निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है जिसके अनुसार बैंको द्वारा दीर्घ अवधि (5 वर्ष) हेतु Line of Credit के आधार पर ऋण सीमा तय करने तथा प्रत्येक वर्ष हेतु डी पी के आधार पर ऋण धनराशि वितरित

करने तथा रूपे कार्ड जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है. यद्यपि विभिन्न बैंकों द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही पहले से की जा रही है तथापि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में एकरूपता स्थापित हो सकेगी व कृषकों को ऋण सुविधा आसानी से प्राप्त हो सकेगी. सभी बैंको द्वारा **रूपे कार्ड (Rupay Card)** निर्धारित समय सीमा जून 2013 तक जारी करने की कार्यवाही की जानी चाहिये.

(ख) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (PAIS) :

योजनान्तर्गत बैंकवार स्थिति **संलग्नक–2** के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है. चूँकि यह योजना ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य है अतः बैंकों द्वारा प्रत्येंक किसान को इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना आवश्यक है.

(ग) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (RKBY) :

योजनान्तर्गत नोडल ऐजेन्सी Agriculture Insurance Company of India Ltd. से प्राप्त बैंकवार स्थिति **संलग्नक–2** के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है. ***चूँकि यह योजना ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य है अतः बैंकों द्वारा प्रत्येंक किसान को इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना आवश्यक है.***

इसी क्रम में Agriculture Insurance Company of India Ltd. ने अपने पत्रांक AIC/LKO/78/2013 dated 11-04-2013 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत ऋणी कृषको हेतु संशोधित घोषणा पत्र से अवगत कराया है जिसकी छायाप्रति **संलग्नक –3** के माध्यम से प्रस्तुत है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अपने पत्र दिनांक 24.04.2013 के माध्यम से सभी सदस्य बैंको को यह जानकारी उपलब्ध करायी है. बैंको द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है.

कार्यसूची संख्या 9

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को अग्रिम

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उददेश्य से The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act., 2006 लागू किया गया है तथा अधिसूचना संख्या S.O.1154(E) dt.18th July 2006 द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 2006 का दिन तय किया. इस अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :–

विवरण	विनिर्माण उद्योग के प्लांट एवं मशीनरी क्षेत्र में निवेश	सेवा क्षेत्र के उद्योग में उपकरण हेतु निवेश
सूक्ष्म उद्योग	₹ 25.00 लाख तक	₹ 10.00 लाख तक
लघु उद्योग	₹ 25.00 लाख से ऊपर एवं ₹ 500.00 लाख तक	₹ 10.00 लाख से ऊपर एवं ₹ 200.00 लाख तक
मध्यम उद्योग	₹ 500.00 लाख से ऊपर एवं ₹ 1000.00 लाख तक	₹ 200.00 लाख से ऊपर एवं ₹ 500.00 लाख तक

बैंकवार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की **मार्च 2013** तक की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट **संलग्नक–1 (I से IV)** के माध्यम से परिलक्षित की गयी है.

SIDBI की CGTMSE योजना

यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि बैंकों द्वारा **SIDBI की CGTMSE योजना** के अन्तर्गत लघु उद्यमियों को कवरेज प्रदान किया जाना चाहिये तथा ₹1.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों पर समपार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जानी चाहिये. नोडल एजेन्सी सिडबी से प्राप्त बैंकवार व जनपदवार सूची **संलग्नक– 2 (I से II)** के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है.

आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजना

सभी शिल्पकारों को उत्पादन एवं विनिर्माण गतिविधियों हेतु इस योजना के अन्तर्गत कवरेज उपलब्ध है. प्राथमिकता ऐसे शिल्पकारों को दी जायेगी जो उद्योग अथवा हस्तशिल्प विभाग से पंजीकृत होंगे साथ ही कलस्टर के अन्तर्गत समूहों को भी ऋण वितरण हेतु प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है. योजनान्तर्गत ₹2.00 लाख तक का कम्पोजिट ऋण दिया जा सकता है तथा लाभार्थी को ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ दिया जाता है. अद्यतन प्रगति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान आलोच्य अवधि में –6925– शिल्पियों को यह सुविधा प्रदान की गयी है तथा अद्यतन कुल –64298– शिल्पी इस योजनान्तर्गत आच्छादित किये जा चुके है. योजना की प्रगति **संलग्नक– 3** के माध्यम से प्रस्तुत है.

कार्यसूची संख्या 10

साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह

साहूकारी ऋण मुक्ति योजना

देश एवं प्रदेश में अनेक किसान अपनी छोटी–छोटी वित्तीय आवश्यकताओं हेतु साहूकारों अथवा गैर संस्थागत माध्यम से ऋण लेते है जिससे जहॉ एक ओर उनका शोषण होता है वहीं दूसरी ओर वे इस ऋण के मकड़ जाल से निकल पाने में परेशानी महसूस करते है. नाबार्ड ने इस विषय में अपने अध्ययन के आधार पर एक बैंकेबल योजना तैयार की जिसका क्रियान्वयन बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है. यह योजना सभी वाणिज्यिक बैकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से संचालित की जा रही है. उल्लेखनीय है कि नाबार्ड योजनान्तर्गत प्रदत्त ऋण के सापेक्ष पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध है.

योजना की प्रगति संलग्नक–1 के माध्यम से प्रस्तुत है. **वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान –11126– नये लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है तथा योजना के प्रारम्भ से यह संख्या –122473– है.**

संयुक्त देयता समूह

संयुक्त देयता समूह 4 से 10 व्यक्तियों का अनौपचारिक समूह है जो एकल या समूह प्रक्रिया के द्वारा परस्पर गारंटी पर बैंक ऋण प्राप्त करने के उददेश्य से एक साथ जुड़ते हैं. प्राथमिकत तौर पर संयुक्त देयता समूह का गठन छोटे काश्तकारों तथा जमीन के मालिकाना अधिकार के बिना खेती करने वाले पट्टेदारी किसानों को लेकर किया जा सकता है.

यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि भारत सरकार की भारत के पूर्वी प्रदेशों में हरित क्रान्ति योजना (BGREI) के अन्तर्गत हमारे प्रदेश के चयनित 28 पूर्वी जनपदों में भी संयुक्त देयता समूह स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य –36265– तय किया गया है ताकि लक्ष्य समूहों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके तथा योजना का सही क्रियान्वयन सम्भव हो सके.

योजना की प्रगति संलग्नक–2 के माध्यम से प्रस्तुत है. **वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान –23370– नये लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है तथा योजना के प्रारम्भ से यह संख्या –50988– है.**

कार्यसूची संख्या 11

वसूली–प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनान्तर्गत एवं गैर निष्पादक आस्तियॉ

(क) वसूली–प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

बैंकवार कृषि व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत **मार्च 2013** में ऋण वसूली की स्थिति **संलग्नक–1 एवं 2** के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ में)

विवरण	मांग	वसूली	अतिदेय	वसूली % (मार्च 2013)	वसूली % (मार्च 2012)
कृषि	30247.98	17176.25	13071.73	56.78	62.48
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	41750.95	24819.30	16931.65	59.45	63.73

उपरोक्त ऑकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि **कृषि व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** के अन्तर्गत **मार्च 2013 तक 56.78 व 59.45 प्रतिशत क्रमशः** वसूली रही है जो गत् वर्ष की आलोच्य अवधि के **सापेक्ष व्यापक रूप से कम हुई है.**

(ख) वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खातों में वसूली

मार्च 2013 को समाप्त अवधि में बैंकवार लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति **संलग्नक** के द्वारा परिलक्षित की गयी है. अद्यतन स्थिति के अनुसार **कुल –1012412– वसूली प्रमाण पत्र तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित है जिनमें बैंकों की कुल ₹3865.77 करोड़ की धनराशि निहित है.**

उल्लेखनीय है कि वर्ष **2012–13** के दौरान कुल **₹483.14 करोड़ की धनराशि वसूल की गयी है**. यहां तहसील स्तर से वसूली प्रक्रिया में और सघन प्रयास व सहयोग की अपेक्षा है.

यहां पर विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है. एस एल बी सी ने अपने पत्रांक EUPZ/38/SLBC/5/220 दिनांक 26.06.2012 द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से प्राप्त जनपदवार Login ID व Password प्रेषित करते हुये सभी वसूली प्रमाण पत्रों के कम्पयूटरीकरण हेतु अनुरोध किया है.

चूकि राज्य सरकार द्वारा इस विषय में पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है तथा बैंकों की यह एक काफी पुरानी मॉग भी रही है अतः इस कार्य के पूर्ण किये जाने एवं नियमित रूप से अपनाने हेतु बैंको से पुनः अनुरोध है.

सरफेसी एक्ट 2002 –

विदित है कि बैंकों द्वारा क्रानिक देयों की वसूली हेतु सरकार द्वारा लागू सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है तथा स्थानीय प्रशासन से आवश्यकतानुसार सहयोग हेतु अनुरोध किया जाता है. अनेक मामलो में यह बात सामने आ रही है कि जिलाधिकारी स्तर से वांछित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है व इन मामलों में अत्यधिक विलम्ब होता है जिसके कारण ऋण वसूली की प्रक्रिया बाधित हो रही है. यद्यपि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फरवरी 2010 में इस विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके है परन्तु उनका क्रियान्वयन सही रूप से नहीं हो पा रहा है. **अतः विगत् एसएलबीसी बैठकों के अनुक्रम में संस्थागत वित्त निदेशालय से पुनः आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध है.**

जैसाकि विगत् एसएलबीसी बैठकों में निरन्तर चर्चा होती रही है बैंकों द्वारा सभी क्रानिक मामलों की सूचना व आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध संस्थागत वित्त निदेशालय से किया जाना वांछित है जिसकी सूचना एस एल बी सी को भी दी जाये ताकि प्रभावी कार्यवाही सम्भव हो सके. इस मुद्दे पर संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया गया है.

सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत बैंकों की ऋण वसूली प्रक्रिया में शासन से जनपद स्तर पर वांछित सहयोग अपेक्षित है.

(ग) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वसूली की स्थिति

वाणिज्यिक बैकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत **मार्च 2013** तक की ऋण वसूली की स्थिति **संलग्नक–1 से 7** के माध्यम से प्रस्तुत है. संक्षेप में योजनावार स्थिति निम्नानुसार है :–

योजना	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
SRMS	45% (53%)	Not Applicable
SCP	42% (51%)	52% (52%)
SJSRY	46 % (54%)	Not Applicable
SGSY	49% (52%)	47% (53%)
SMDP	51% (56%)	62% (75%)
KVIC (Margin Money Scheme)	47% (45%)	67% (61%)
KVIB (MMGR Yojna)	40% (48%)	68% (76%)

(कोष्ठक में दर्शाया गया प्रतिशत मार्च 2012 का है)

- उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि अधिकांश योजनाओ में ऋण वसूली की स्थिति गत् वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष काफी कम हुई है. विभिन्न नोडल विकास विभागों से बैंकों की वसूली स्थिति में वांछित सहयोग की अपेक्षा है ताकि इस अतिदेय राशि को पुनः बैंक ऋण के माध्यम से रिसाईकिल किया जा सके.

(घ) गैर निष्पादक आस्तियों के अन्तर्गत वसूली

गैर निष्पादक आस्तियों की **मार्च 2013** तक की प्रगति निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ में)

Institution	**NPA Level** As on 01.04.12	**Additions** 01.04.12 to 31.03.13	**Recovery** 01.04.12 to 31.03.13	**O/s Adv.** As on 31.03.13	**NPA Level**	
					As on 31.03.13	% against O/S level
Comm.Banks	9857.42	8997.21	5398.22	268031.78	13456.41	5.02 (5.40)
RRBs	825.07	3607.05	2465.34	23064.09	1966.78	8.53 (4.13)
Cooperatives	1605.88	0.00	6.13	10244.54	1599.75	23.48(21.68)
Total	**12288.37**	**12604.26**	**7869.69**	**301340.41**	**17022.94**	**5.65(5.28)**

(कोष्ठक में दर्शाया गया प्रतिशत मार्च 2012 का है)

- वाणिज्यिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में गैर निष्पादक आस्तियों की स्थिति **संलग्नक–1 एवं 2** के माध्यम से परिलक्षित की गयी है.

उल्लेखनीय है कि **वाणिज्यिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में गैर निष्पादक आस्तियों का स्तर मार्च 2013 में क्रमशः 5.02 प्रतिशत व 8.53 प्रतिशत** रहा है जो विगत् वर्ष की आलोच्य अवधि से वाणिज्यिक बैंकों में कम हुआ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बढ़ा है. **कुल गैर निष्पादक आस्तियों का औसत स्तर बढ़कर 5.65 प्रतिशत हो गया है.**

कार्यसूची संख्या 12

अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता

विदित है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की योजनाओं को प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है. प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार इन समुदायों को प्रदत्त ऋण सुविधाओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गो हेतु ऋणों में वर्गीकृत किया जाता है. साथ ही इस वर्ग को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कुल ऋण का 15 प्रतिशत तक प्रदान करने हेतु निर्देश है.

प्रदेश में कार्यरत बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को **मार्च 2013** तक प्रदान किये गये ऋण प्रवाह की प्रगति निम्नानुसार हैः–

(Amt. in crore)

	Particulars	**No.**	**Amount**
a.	To Minority Communities in identified Districts having concentration of Minorities	1263264	14864.09
b.	To Minority Communities in whole U.P.	1775609	20722.28
c.	Total Priority Sector Advances in identified districts having concentration of Minorities	3927746	65930.02
d.	Total Priority Sector Advances in whole U. P.	11072394	151843.49
e.	**Percentage of (a) to (c)**	**32.16**	**22.55**
f.	**Percentage of (b) to (d)**	**16.04**	**13.65**

आलोच्य अवधि तक पूरे प्रदेश में बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 1775609 व्यक्तियों को ₹20722.28 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है जो कि कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदत्त ऋण का क्रमशः 16.04 (खाते) एवं 13.65 (धनराशि) प्रतिशत है.

इसी प्रकार अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 1263264 व्यक्तियों को ₹14864.09 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है जो कि कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदत्त ऋण का क्रमशः 32.16 (खाते) एवं 22.55 (धनराशि) प्रतिशत है.

योजनान्तर्गत बैंकवार प्रगति रिपोर्ट **संलग्नक–1 व 2** के माध्यम से प्रस्तुत है.

कार्यसूची संख्या 13

स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)

स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म उद्यमियों का एक ऐसा पंजीकृत अथवा अपंजीकृत समूह है जिनकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि एक समान होती है तथा जो एक साथ एकत्र होकर स्वेच्छा से एवं नियमित रूप से छोटी–छोटी बचत द्वारा एक कोरपस तैयार करते है जिसके द्वारा समूह के किसी सदस्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आन्तरिक लेन–देन किया जा सके. इस ऋण का उचित उपयोग व ससमय अदायगी हेतु समूह के सदस्य आपसी व परस्पर दबाव का उपयोग करते है वस्तुतः परस्पर दबाव को प्रभावी समपार्श्विक विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है.

प्रदेश में विभिन्न बैंक **उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश कृषि विविधिकरण परियोजना (यूपीडास्प) तथा नाबार्ड** के सहयोग से समूह गठन व उनके वित्त–पोषण हेतु निरन्तर कार्यरत है.

मार्च 2013 को समाप्त अवधि में बैकवार विस्तृत रिपोर्ट **संलग्नक** के माध्यम से प्रस्तुत है तथा संकलित सूचना निम्नवत है :–

(राशि लाख में)

संस्था	गठित समूह	वित्त–पोषित समूह			
		संख्या		धनराशि	
	संख्या	अप्रैल 2012 से मार्च 2013	योजना के प्रारम्भ से	अप्रैल 2012 से मार्च 2013	योजना के प्रारम्भ से
वाणिज्यिक बैंक	193952	17314	178637	15518.91	161446.50
कोआपरेटिव बैंक	21056	257	12650	786.48	45554.77
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	201233	8161	167879	7302.36	75996.03
कुल योग	**416241**	**25732**	**359166**	**23607.75**	**241997.30**

- उल्लेखनीय है कि हमारे प्रदेश के 28 पूर्वी जिलों में लागू बी.जी.आर.ई.आई. योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को वित्त–पोषण का विशेष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में –43104– समूहों को बनाने का लक्ष्य तय किया गया है.
- इस क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त–पोषण हेतु भारत के –41– चयनित पिछड़े जनपदों में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसमें **ANCHOR NGO** की सहभागिता विशेष है. हमारे प्रदेश के 3 जनपद – चित्रकूट (इलाहाबाद बैंक), जौनपुर (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया) तथा कौशाम्बी (बैंक ऑफ बड़ौदा) इस योजनान्तर्गत चयनित है.

कार्यसूची संख्या 14

विभिन्न गरीबी उन्मूलन व स्वरोजगार परक कार्यक्रमों की प्रगति – समीक्षा

(क) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY):

भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 से लागू की गयी स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व कोआपरेटिव बैंकों द्वारा कार्यवाही करते हुये लक्ष्य समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. इस योजना का उददेश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों (स्वरोजगारियों) को बैंक ऋण तथा सरकारी अनुदान के द्वारा आय उत्पादक आस्तियॉ उपलब्ध कराकर गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है. गरीबों की क्षमता और प्रत्येंक क्षेत्र की सम्भाव्यता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना इस कार्यक्रम का उददेश्य है.

विभिन्न बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार माह **मार्च 2013** को समाप्त अवधि की प्रगति रिपोर्ट **संलग्नक–1 से 5** के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है. संक्षेप में योजना की संकलित प्रगति निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ में)

Agencies	No. of groups formed	No. of groups passed Ist grading	No. of groups sancd. CCL	No. of groups passed IInd grading	No. of Groups disbursed loan		No. of beneficiaries assisted
					No.	Amt.	
Com. Bank	8755	5851	5280	4369	6616	98.12	62449
RRBs	7899	6136	6031	5529	7938	194.84	83339
Coop.Banks	0	0	0	0	406	6.50	0
G. Total	16654	**11987**	**11311**	**9898**	**14960**	**299.46**	**145788**

उपरोक्त प्रगति रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि अभी तक –145788– लाभार्थियों को बैंकों द्वारा ₹299.47 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है.

योजना के प्रारम्भ से मार्च 2013 तक की प्रगति रिपोर्ट

(राशि करोड़ में)

Agencies	No. of groups formed	No. of Ist graded groups	No. of groups Sanctioned CCL	No. of 2nd graded groups	No. of Groups disbursed loan		No. of beneficiaries assisted
					No.	Amt.	
Comm.Banks	186062	135046	111486	102955	116963	1705.35	1250038
RRBs	185879	123612	111961	83818	113350	1830.33	1298810
Coop. Banks	6756	6756	6756	6756	6756	68.22	66020
Grand Total	**378697**	**265414**	**230203**	**193529**	**237069**	**3603.90**	**2614868**

उपरोक्त प्रगति रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि कुल 265414 समूह प्रथग ग्रेडिंग पास किये है जिनमें से 230203 समूहों को सीसीएल सुविधा प्रदान की गयी है. 237069 समूहों को बैंकों द्वारा ₹3603.90 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तथा 2614868 लाभार्थियों को अबतक योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया गया है.

<u>स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता</u>

योजनान्तर्गत समूहों के साथ–साथ व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है. वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान बैंकों द्वारा **कुल 29266 स्वरोजगारियों को ऋण स्वीकृत कर 27519 लाभार्थियों को ₹138.28 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है.**

बैंकवार प्रगति रिपोर्ट **<u>संलग्नक–5</u>** के माध्यम से प्रस्तुत है.

<u>आरसेटी संस्थानों की स्थापना</u>

विभिन्न अग्रणी बैंकों द्वारा अभी तक **–75– आरसेटी संस्थानों की स्थापना की गई है** जिसमें से –5– संस्थान गैर अग्रणी जनपदों में खोले गये है. एस एल बी सी के निर्णयानुसार –5– अग्रणी जनपदों में संबंधित अग्रणी बैंकों द्वारा आरसेटी की स्थापना भूमि आवंटन न होने के कारण लम्बित है जिसकी स्थिति निम्नानुसार है

1. **पंजाब नेशनल बैंक (बदायूँ, झांसी एवं प्रबुद्ध नगर)**
2. **सिंडीकेट बैंक (पंचशील नगर एवं भीम नगर)**

उल्लेखनीय है कि विगत् काफी लम्बे समय से बैंकों द्वारा आरसेटी की स्थापना हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार से निःशुल्क भूमि आबंटन हेतु अनुरोध किया जा रहा है. **तत्क्रम में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन ने पत्रांक 1803/अड़तीस–6–11–12एसजीएसवाई/2008 दिनांक 22.12.2011 द्वारा प्रदेश के 18 जनपदों के जिलाधिकारियों को सम्बोधित व बैंकों व अन्य पृष्ठांकित पत्र द्वारा भूमि आबंटन की सूचना से अवगत कराया है.**

इसी क्रम में प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (उ.प्र.) ने अपने पत्रांक 1392ए(बी)/क0नि0–6–12/20बी(77)/2012टी.सी.–1 दिनांक 11.10.2012 जो प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित है द्वारा भी इस प्रकरण में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है जो निश्चय ही सराहनीय प्रयास है.

अतः संबंधित विभाग से पुनः अनुरोध है कि सभी जनपदों हेतु यह कार्य शीघ्र सम्पन्न करा दिया जाये ताकि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली रूपये 1 करोड़ की ग्रान्ट इन एड बैंको को मिल सके तथा बैक अपने आरसेटी परिसर में कार्य प्रारम्भ कर सके.

इसी कम में यह भी दोहराना उचित होगा कि बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों को बैको द्वारा संचालित इन आरसेटी संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाये जिसके लिये जनपदीय डी.आर. डी.ए. द्वारा महत्वपूर्ण भागीदारी आवश्यक है.

एफएलसीसी/ एफएलसी संस्थानों की स्थापना

प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा कुल –75– एफएलसीसी/एफएलसी केन्द्रो की स्थापना की गयी है जिसमें से एक केन्द्र कार्पोरेशन बैंक द्वारा अमेठी (जनपद अमेठी) में स्थापित किया गया है.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission- NRLM)

- ✓ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM) का कियान्वयन प्रदेश के चयनित –22– जनपदो के –22– विकास खण्डों में intensive आधार पर वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ किया जा रहा है. जनपदवार चयनित विकास खण्डों का ब्योरा **संलग्नक – 6** के माध्यम से प्रस्तुत है.
- ✓ इसी कम में अवगत कराना है कि शासन द्वारा सभी स्वयं सहायता समूहों को एक यूनीक आई.डी. संख्या जारी किये जाने हेतु निर्देश प्रेषित किये है. एस.एल.बी.सी. ने अपने पत्रांक पू.उ.प्र.अं./39/एस.एल.बी.सी./144 दिनांक 27.04.2013 द्वारा एक प्रारूप तैयार कर मिशन डायरेक्टर, यू.पी. एस.आर.एल.एम. एवं सभी सदस्य बैंको को प्रेषित किया है **(संलग्नक –7)**। बैंको से अपेक्षित है कि वे अपने बैंक का डेटा बेस निर्धारित प्रारूप पर ही निर्धारित समय सीमा (एक माह) के अन्दर सीधे ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
- ✓ उल्लेखनीय है कि इस योजना की सघन समीक्षा के उद्देश्य से एवं भारत सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एक उप समिति का गठन बैंक ऑफ बड़ौदा के समन्वय में किया जा चुका है जिसकी बैठकें आयोजित की जा रही हैं.
- ✓ ग्राम्य विकास विभाग से अनुरोध है कि योजनान्तर्गत चयनित जनपदों हेतु विकास खण्डवार लक्ष्य आवंटित कर एस.एल.बी.सी. को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि तदानुसार बैंकवार आवंटन कराये जा सके एवं प्रगति प्रारम्भ हो सके.

(ख) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):

बैंको से प्राप्त **मार्च 2013 अवधि तक योजनान्तर्गत प्रगति रिपोर्ट संलग्नक के माध्यम से प्रस्तुत है जिसके अनुसार कुल प्राप्त –6512– प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष –4636– आवेदन पत्रों में स्वीकृति व –4068– मामलों में ऋण वितरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी है.**

नोडल विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत चर्चा प्रस्तावित है.

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):

- नोडल विभाग द्वारा प्रेषित एजेन्सीवार माह **मार्च 2013** तक योजनान्तर्गत प्रगति रिपोर्ट **संलग्नक 1** के माध्यम से प्रस्तुत है.

- इस योजना से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

1. **वित्तीय वर्ष 2008–09 से लेकर अभी तक के सभी पात्र लम्बित क्लेमस का निस्तारण सभी बैंको द्वारा पूर्ण कर लिया जाना अनिवार्य है**
   यहां उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि जिला उद्योग केन्द्रों (डी.आई.सी.) के अनुदान समायोजन हेतु पुराने मामले लम्बित होने के कारण वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु योजनान्तर्गत लक्ष्य आवंटन नहीं हो सका जैसा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था.
   विगत् बैठक के निर्णयानुसार संस्थागत वित्त निदेशालय के संयोजन में तीनों कार्यदायी संस्थाओं, एस.एल.बी.सी. एवं विभिन्न बैंको की बैठक 22.03.2013 को सम्पन्न हो चुकी है जिसमें पुराने लम्बित मामलों के मिलान एवं निस्तारण हेतु निर्णय लिया गया। संबंधित बैंको एवं तीनों कार्यदायी संस्थाओं से इस विषय में अद्यतन स्थिति अपेक्षित है।
2. ऐसे सभी मामले जहां ईडीपी ट्रेनिंग कराया जाना बाकी है तथा ऋण वितरण किया जा चुका है में यह कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण करा ली जानी चाहिये.
3. मार्जिन मनी का समायोजन योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिये.

- राज्य निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, लखनऊ ने अवगत कराया है कि मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु योजनान्तर्गत बजट आवंटन प्राप्त हो चुका है जिसका प्रदेश में ऐजेन्सी वार आवंटन निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

क्रम सं.	एजेन्सी	प्रोजेक्ट संख्या	मार्जिन मनी राशि	रोजगार संख्या
1.	के.वी.आई.सी.	18158	18763.33	65264
2.	के.वी.आई.बी.	2447	5629.00	19576
3.	डी.आई.सी.	3263	7505.33	26104
योग		**23868**	**31897.66**	**110944**

राज्य निदेशक द्वारा उपरोक्त लक्ष्य संबंधित एजेन्सीज को प्रेषित करते हुये अनुरोध किया गया है कि निर्धारित दिशानिर्देशो के अनुरूप जिलावार आवंटन कर एस.एल.बी.सी. को अनुमोदन हेतु प्रेषित करे ताकि वित्तीय वर्ष 2013–14 में उक्त योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो सके।

- निदेशक (पी.एम.ई.जी.पी.), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान स्वीकृत प्रोजेक्टस हेतु मार्जिन मनी/सब्सिडी क्लेम्स के समायोजन की अवधि 31.05.2013 तक बढ़ा दी गयी है तथा भविष्य में कोई और विस्तार मान्य नहीं होगा (संदर्भ एस.एल.बी.सी. पत्रांक पू.उ.प्र.अं./39/एस.एल.बी.सी./10/111 दिनांक 30.03.2013)।

नोडल विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत चर्चा प्रस्तावित है.

(घ) सघन मिनी डेयरी परियोजना (SMDP):

नोडल विभाग द्वारा प्रेषित **मार्च 2013** त्रैमास तक योजनान्तर्गत प्रगति रिपोर्ट **संलग्नक–1 से 2** के माध्यम से प्रस्तुत है.

आर.के.वी.वाई. वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत कुल प्राप्त –**5536**– प्रार्थना पत्रों में से –**3008**– प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये गये जिनसे से प्रथम डोज के अन्तर्गत –2513– एवं द्वितीय डोज के अन्तर्गत –**1393**– आवेदन पत्रों में ऋण वितरण किया गया है.

प्रगति रिर्पोट 2011–12 : आरकेवीवाई परियोजना के अन्तर्गत

Target	App. Submitted	App. Sanctioned	App. Disbursed		Rejected/ Returned	Appl. Pending for sanction		
			1st Dose	2nd Dose		Sanction	1st Dose	2nd Dose
3543	5536	3008	2513	1393	282	535	495	1120

आर.के.वी.वाई. वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत मार्च **2013** तक कुल प्राप्त –**5308**– प्रार्थना पत्रों में से –**2421**– प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये गये जिनसे प्रथम डोज के अन्तर्गत –**796**– एवं द्वितीय डोज के अन्तर्गत –**118**– आवेदन पत्रों में ऋण वितरण किया गया है.

प्रगति रिर्पोट 2012–13 : आरकेवीवाई परियोजना के अन्तर्गत

Target	App. Submitted	App. Sanctioned	App. Disbursed		Rejected/ Returned	Appl. Pending for sanction		
			1st Dose	2nd Dose		Sanction	1st Dose	2nd Dose
4361	5308	2421	796	118	191	1940	1625	678

नोडल विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत चर्चा प्रस्तावित है.

(ड.) विशेष समन्वित योजना

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करते है, उनको कृषि एवं उससे सम्बन्धित अन्य क्रिया–कलापों तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के क्रिया–कलापों हेतु ऋण उपलब्ध कराने पर केन्द्रित है.

नोडल विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार माह मार्च 2013 को समाप्त अवधि की प्रगति रिपोर्ट **संलग्नक** के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है. संक्षेप में योजना की संकलित प्रगति निम्नानुसार है :–

(धनराशि करोड़ में)

लक्ष्य	आवेदन पत्र					
	प्रेषित	स्वीकृत	वितरित		वापिस/निरस्त	लम्बित
संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	धनराशि	संख्या	संख्या
125000	124810	67139	*66091	154.73	10337	47334

(* मार्जिन मनी प्रेषित)

- **124810 आवेदन पत्रों में से क्रमशः 67139 एवं 66091 प्रार्थना पत्रों में ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी, जो बैंको को प्राप्त आवेदन पत्रों का क्रमशः 59 प्रतिशत एवं 53 प्रतिशत है.**

उल्लेखनीय है कि नोडल ऐजेन्सी/संस्थागत वित्त निदेशालय से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी बैंको को नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है ताकि संबंधित शाखाओं द्वारा आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

नोडल विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत चर्चा प्रस्तावित है.

(च) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

बैंको से प्राप्त संकलित सूचना के अनुसार वार्षिक लक्ष्य 4000 निर्धारित किया गया है. प्राप्त –7180– आवेदन पत्रो के सापेक्ष बैंको द्वारा –4317– मामलों में ऋण स्वीकृति व –4127– मामलों में ऋण वितरण की कार्यवाही सम्पन्न की गयी है. इस प्रकार योजनान्तर्गत बैंको द्वारा शतप्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति करते हुये –82930– रोजगार सृजित किये गये है। जनपदवार प्रगति **संलग्नक** के माध्यम से प्रेषित है।

नोडल एजेन्सी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु जनपदवार लक्ष्य –4400– प्रेषित किये गये है जो एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी बैंको को प्रेषित कर दिये गये है।

कार्यसूची संख्या 15

भारत सरकार की नवीन योजनायें

(क) एग्रीक्लीनिक/एग्रीबिजनेस केन्द्र

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 31.09.2010 के माध्यम से दिनांक 23.07.2010 को आयोजित स्थायी वित्त समिति में कृषि क्लीनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र स्थापित करने की नियमित केन्द्रीय योजना के सम्बन्ध में सूचित किया था. तत्क्रम में नाबार्ड, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई ने अपने परिपत्र संख्या 145/आईसीडी–35/2011 दिनांक 02.08.2011 के माध्यम से नवीन दिशा निर्देशों से अवगत कराया है.

उल्लेखनीय है कि इस योजनान्तर्गत कृषि संकाय के स्नातकों, डिप्लोमा होलडरर्स इत्यादि को कृषि क्लीनिक व कृषि व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु MANAGE के माध्यम से 2 माह का पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है व तत्पश्चात बैंक ऋण के माध्यम से जोड़ने का प्रावधान भी है. पुनः लाभार्थी को भारत सरकार से 36 से 44 प्रतिशत तक के अनुदान का भी लाभ उपलब्ध रहता है.

इस योजना के माध्यम से बैंकों द्वारा जहां एक ओर स्वरोजगार स्थापना को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में ऋण की संभावनाओं में भी वृद्धि होगी. अतः बैंकों का अपेक्षित सहयोग आवश्यक है. योजना की विस्तृत जानकारी व दिशानिर्देश वेबसाइट www.manage.gov.in पर उपलब्ध है.

योजनान्तर्गत बैंकवार प्रगति **संलग्नक** के रूप में प्रस्तुत है. जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति तक विभिन्न **बैंकों द्वारा कुल प्राप्त –133– आवेदन पत्रों के सापेक्ष –133– आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति व –131– मामलों में कुल ₹583.72/– लाख धनराशि/ ऋण वितरण की कार्यवाही की गयी है.**

(ख) ग्रामीण भंडारण हेतु कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु एक विशेष योजना – कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम लागू की है. इस योजना का मुख्य उददेश्य किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पाद का उचित भण्डारण सुनिश्चित कराना है ताकि उनके द्वारा मजबूरीवश विक्रय की सम्भावना को रोका जा सके और उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त हो सके.

नाबार्ड द्वारा इस योजना का समन्वय किया जा रहा है जिसमें 15 से 25 प्रतिशत (अधिकतम ₹37.50 लाख) बैकइन्डेड अनुदान का प्रावधान है जो 100 से 10000 टन क्षमता की इकाईयों के निर्माण हेतु प्रदान की जाती है.

मार्च 2013 को समाप्त अवधि में योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त सभी –27– आवेदन पत्रों के सापेक्ष –25– प्रस्ताव स्वीकृत कर ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है. प्रगति रिपोर्ट **संलग्नक** के रूप में प्रस्तुत है.

(ग) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित योजना

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से Development of Commercial Horticulture through production and Post Harvest Management स्कीम के अन्तर्गत योजना का संचालन किया जा रहा है जिसमें 25 लाख तक की ऋण योजना मे अधिकतम 20 प्रतिशत Back ended Capital Investment Subsidy का प्रावधान है.

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट **संलग्न** के माध्यम से प्रस्तुत है.

कार्यसूची संख्या 16

शिक्षा ऋण

शिक्षा मानव संसाधन और देश में विकास व सशक्तीकरण के लिये आवश्यक है. यद्यपि सरकारी प्रयासों के द्वारा सभी के लिये प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथापि उच्च शिक्षा मंहगी होने के कारण अनेक गरीब लेकिन मेधावी छात्र इससे वंचित रह जाते है इसके मद्देनज़र वर्ष 2001–02 से सरकार ने शिक्षा ऋण योजना पर जोर दिया ताकि गरीब लेकिन मेधावी छात्र व अन्य सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके. विभिन्न बैंको ने शिक्षा ऋण हेतु अपनी विस्तृत योजनायें तैयार की है तथा समय की मांग के अनुसार समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किये है. उल्लेखनीय है कि विगत् 2010 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इकोनामिकली वीकर सेक्शनस हेतु ब्याज उपादान योजना लागू की थी जिसका लाभ अनेक युवाओं ने प्राप्त किया है.

इसी कम में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्रांक F.No. 1(1)/2011-CP दिनांक 26.07.2012 व F.No. 1(1)/2011-CP दिनांक 11.10.2012 द्वारा योजनान्तर्गत राज्यवार लक्ष्य आवंटित किये जिसके अनुसार हमारे प्रदेश को कुल –175740– ऋण खाते व ₹4576.43 करोड़ (Outstanding) का लक्ष्य आवंटित किया गया जिसका बैंकवार आवंटन सभी को एस एल बी सी के पत्रांक EUPZ/38/SLBC/34/380 दिनांक 15.10. 2012 द्वारा किया जा चुका है.

इस योजनान्तर्गत बैंकवार आवंटित लक्ष्य व इसके सापेक्ष **मार्च 2013** तक की प्रगति **संलग्नक** के रूप में प्रस्तुत है जिससे ज्ञरत होता है कि आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंको द्वारा **संख्या** के लक्ष्य पूर्ण कर लिये गये है तथा **धनराशि** के लक्ष्य भी लगभग प्राप्त किये गये है.

कार्यसूची संख्या 17

बैंकों से सम्बन्धित आपराधिक मामले

- आलोच्य अवधि में बैंकों द्वारा एक घटना रिपोर्ट की गयीं हैं। महाप्रबंधक, बलिया इटावा ग्रामीण बैंक (तत्कालीन) ने अपने पत्रांक प्र.का./2013/03/सचि./62 दिनांक 30.03.2013 द्वारा अवगत कराया है कि :–

दिनांक 25.03.2013 को बैंक की अनन्तराम शाखा, जिला औरैया में चोरी की एक घटना का प्रयास किया गया जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की क्षति नहीं पायी गयी।

घटनाक्रम के अनुसार दिनांक 25.03.2013 को प्रातः 9.15 बजे शाखा प्रबंधक ने शाखा पहुँचने पर पाया कि किन्ही अराजक तत्वों द्वारा बैंक परिसर के पिछले हिस्से के कमरे का लोहे का जंगला काट कर संबंधित खिड़की तोड़ कर शाखा परिसर में प्रवेश किया गया। संबंधित कमरे कर दरवाजा खोलकर कैश सेफ गैसकटर का प्रयोग किया गया जिससे कैश सेफ के दरवाजे पर एक गड्ढ़ा बन गया है। कैश सेफ खोलने पर यह पाया गया कि सेफ में रखा गया धन सुरक्षित है।

मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस चौकी अनन्तराम, थाना/कोतवाली अजीतमल, जनपद औरैया में दर्ज करा दी गयी है।

- **अध्यक्ष, श्रेयस ग्रामीण बैंक (तत्कालीन) ने पत्रांक SGB/HO/PMS/Gallantry/1/2013 दिनांक 15.03.2013 जो जिलाधिकारी, आगरा व आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को संबोधित एवं अन्य संबंधित को संबोधित है, के द्वारा बैंक के दो कर्मचारियों को मरणोपरान्त सर्वोच्च वीरता सम्मान प्रदान करने की संस्तुति की गयी है।**

उल्लेखनीय है कि गत् 26.02.2013 को संबंधित बैंक की टेहरा शाखा में दिन दहाड़े लूट की एक घटना घटित हुई थी। इस वारदात में बैंक के दो कर्मचारियों स्वर्गीय श्री अशोक कुमार, आफिस असिस्टेन्ट एवं स्वर्गीय श्री संतोष कुमार पाठक, अधिकारी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुये डकैतो से मोर्चा लिया तथा बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान एवं हानि से बचाया। इस पूरे घटनाक्रम में डकैतों द्वारा फायरिंग की गयी जिसके कारण बैंक के दोनो कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी।

अध्यक्ष, श्रेयस ग्रामीण बैंक (तत्कालीन) ने यह अनुरोध किया है कि इस प्रकरण को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के स्तर पर रखा जाये एवं शासन द्वारा बैंक के दोनों कर्मचारियों को मरणोपरान्त सर्वोच्च वीरता सम्मान प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाये।

सदन द्वारा इस प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्ण चर्चा एवं निर्णय अपेक्षित है।

कार्यसूची संख्या 18

अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से

1. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक एवं बलिया इटावा ग्रामीण बैंक का समामेलन

महाप्रबंधक, पूर्वांचल बैंक (पूर्वांचल ग्रामीण बैंक एवं बलिया इटावा ग्रामीण बैंक का समामेलित) ने अपने पत्रांक 2013–14/योजना/10 दिनांक 03.04.2013 द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के पैरा–II, सेक्शन 3, सब सेक्शन (II) द्वारा दिनांक 01.04.2013 को अधिसूचना प्रकाशित कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21वां) की धारा 23ए की उपधारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से **पूर्वांचल ग्रामीण बैंक एवं बलिया इटावा ग्रामीण बैंक का समामेलन (Amalgamation) कर दिया है।**

समामेलित(Amalgamated) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम **पूर्वांचल बैंक** हो गया है तथा इसका **प्रधान कार्यालय गोरखपुर** में जिसका **प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक** है।

पूर्वांचल बैंक अधिसूचना की तिथि से ही अस्तित्व में आ गया है तथा इसका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के –11– जनपदों औरैया, बलिया, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, संत कबीरनगर एवं सिद्धार्थ नगर रहेगा।

2. आर्यावर्त ग्रामीण बैंक एवं श्रेयस ग्रामीण बैंक का समामेलन

इसी क्रम में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. F.No.7/9/2011-RRB(UP-1) दिनांक 01.04.2013 द्वारा प्रदेश में कार्यरत **आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं श्रेयस ग्रामीण बैंक के समामेलन की सूचना से अवगत कराया है।** इस प्रकार समामेलित (Amalgamated) बैंक **ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त** के नाम से जाना जायेगा जिसका **मुख्यालय लखनऊ** रहेगा तथा **प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया** है।